समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

20-09-2013

आवेदक **सैयद इम्तियाज अहसन,** पिता–सैयद रेयाज अहसन, सा0–अहसन मंजिल, सालिमपुर, पो0+थाना–बाढ़, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–475/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–20.09.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–20.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सैयद नेहाल अहसन कॉलेज, बाढ़ के प्राचार्य हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि थानाध्यक्ष, बाढ़ के द्वारा समर्पित पुलिस प्रतिवेदन में उनके पास पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन एवं एक एन0पी0बोर रायफल होने की बात प्रतिवेदित की गयी है, जो गलत है। उनके द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र भी सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख पर संधारित किया गया। उनके द्वारा पूर्व से कोई शस्त्र धारित है अथवा नहीं के संबंध में पृच्छा किए जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास एक एन0पी0बोर पिस्टल है लेकिन उसकी अनुज्ञप्ति संख्या उनके द्वारा नहीं बतायी जा सकी। सुनवाई के क्रम में दाखिल शपथ पत्र में भी अपने द्वारा धारित पिस्टल के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। यहाँ तक कि आवेदन में भी पूर्व से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र के संबंध में तथ्य को छुपाया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–175/गो0, दिनांक–29.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, बाढ़ के जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारण एवं अनुशंसा के साथ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, बाढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सैयद नेहाल अहसन कॉलेज, बाढ़ के प्रिसिंपल हैं एवं बाढ़ वक्फ इस्टेट के सचिव हैं। कोर्ट परिवाद द्वारा काण्ड सं0–97/06 धारा–48–447–420–467–471 एवं 120 (बी0) अंकित किया गया है। आवेदक को पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–65/1986 एवं एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0–286/2005 प्राप्त है। साथ ही कंडिका–14 पर अंकित किया गया है कि आवेदक को पूर्व से प्राप्त अनुज्ञप्ति रद्द नहीं है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के बिन्दु 'क', 'ख', एवं 'ग' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0–286/2005, थाना–बाढ़ है और आवेदक के द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति पर एक पिस्टल धारित है लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे शस्त्र की आवश्यकता के संबंध में पुलिस प्रतिवेदन में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा भी दूसरे शस्त्र की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं बताया जा सका। साथ ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के क्रम में पुलिस प्रतिवेदन में उनके द्वारा धारित दो शस्त्रों के तथ्य को तो गलत बतया गया लेकिन उनके द्वारा स्वयं इस तथ्य को शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में छुपाया गया कि उनके द्वारा पूर्व से एक एन0पी0बोर पिस्टल धारित है। अतएव उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक सैयद इम्तियाज अहसन, पिता–सैयद रेयाज अहसन, सा0–अहसन मंजिल, सालिमपुर, पो0+ थाना–बाढ़, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।